राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

Email: - smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक –रास्कूशिप/जय/वै.एवं औ.शि./ /लाई.ग्रान्ट/क्षेत्रीय भाषा/2024–25/4593 दिनांक– 23/12/24

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI)

पुस्तकालय अनुदान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्यस्तरीय पुस्तक चयन/क्रय समिति द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा **संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी की कक्षा** I **से** V, **कक्षा** VI **से** VIII, **कक्षा** IX **से** X एवं **कक्षा** XI **से** XII स्तर की पुस्तकें राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय करने निमित्त निजी प्रकाशकों/अकादमियों से उनके प्रकाशनों की एक–एक निःशुल्क नमूना प्रति ई0ओ0आई0 प्रकाशन तिथि से 10 दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, (कक्ष संख्या 504) चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302017 में व्यक्तिशः/डाक से प्रस्तुत/प्रेषित करने हेतु सूचित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट rajsmsa.nic.in एवं rajshaladarpan.nic.in पर उपलब्ध हैं।

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,

RajKaj Ref
12523656

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST

नियम एवं शर्ते

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा ''पढ़े भारत बढ़े भारत'' के तहत संस्कृत, क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा हिन्दी तथा राजस्थानी की कक्षा स्तरानुसार I-V, VI-VIII, IX-X, XI-XII स्तर की पुस्तकें राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय हेतु क्रय की जानी हैं। अतः इच्छुक निजी प्रकाशकों से उनके प्रकाशनों की विभिन्न कक्षा स्तर (I-V, VI-VIII, IX-X, XI-XII) की संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की एक–एक प्रति (प्रति कक्षा श्रेणी अधिकतम 06 पुस्तकें, समस्त श्रेणी की अधिकतम कुल 20 पुस्तकें) 10 दिवस कार्यालय समय में आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय में वाहक स्तर पर या पंजीकृत डाक से स्वयं के व्यय पर प्रेषित/प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अंकित तिथि एवं समय पश्चात व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुस्तक क्रय की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ राशि 2,00,000/– (दो लाख) रूपये का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम देय होगा, सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि बिन्दु संख्या 21 के अन्तर्गत प्रकाशक द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।
2. पुस्तकों का संस्करण वर्ष 2022 से पूर्व का नहीं होना चाहिये। प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण अंकित होना आवश्यक है।
3. पुस्तकों में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय.......) का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में कॉपी राईट की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रकाशक की होगी।

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST

4. प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण वर्ष एवं पुस्तक का मूल्य अन्दर के पृष्ठ/बैक पृष्ठ पर अंकित होना चाहिये।

5. छूट के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा बाजार में पुस्तकों की संख्या, गुणवत्ता, उपयोगिता, मार्केट रेट आदि को ध्यान में रखते हुये आवश्यक नेगोशिएशन किया जाएगा।

6. पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि के कागज न्यूनतम 80 GSM एवं पृष्ठ कवर पेज न्यूनतम 300 G.S.M तथा पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ भाग पर अंकित होना चाहिए।

7. पुस्तक की स्टिचिंग मजबूत एवं उच्च स्तरीय होनी चाहिए।

8. पुस्तक के शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि शब्द/वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि पायी गयी तो पुस्तक को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इस हेतु प्रकाशन को 500/– रूपये के स्टॅाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. नमूना पुस्तकों के लिए ISBN नम्बर का राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

10. प्रस्तावित पुस्तकों के ISBN नम्बर को राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी की ISBN साईट से ऑनलाईन मिलान किया जाएगा। मिलान के अभाव में चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. प्रत्येक प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक शीर्षकों की एक–एक प्रति नमूने के रूप में निःशुल्क जमा कराना अनिवार्य है। नमूने के लिये जमा की गयी पुस्तकें वापस (चयनित नहीं होने पर भी) नहीं की जायेगी (संलग्नः– प्रपत्र 01– प्रकाशक के सम्बन्ध में आवेदन पत्र)।

12. नमूने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली शीर्षकों की पुस्तकें सही संख्या में बंधी हुई एवं इसके ऊपर प्रकाशक का नाम, पता जमा की गयी कुल शीर्षकों (पुस्तक) की संख्या मय सूची तथा जारी की गई EoI नम्बर भी लिखा होना चाहिये।

13. नमूना पुस्तक/पुस्तकें अपने अग्रेषण [illegible] पुस्तकों के साथ पुस्तक के [illegible] में वांछित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल [illegible]

Rajkaj Ref
12523656
Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST

फॉन्ट साईज 14 एवं अंग्रेजी में Times new roman फॉन्ट साईज 12 में तैयार कर संलग्न प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक ईमेल– **smsa.asfe2021@gmail.com** पर प्रेषित करेंगे। (संलग्नः प्रपत्र संख्या–02 अनुसार)

14. आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति कार्यादेश से 90 दिनों के अन्दर 358 ब्लॉक स्तर पर करनी होगी। पुस्तकों की विद्यालयवार एवं ब्लॉकवार वाटरप्रूफ पैकिंग करनी होगी।
15. निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने अथवा आपूर्ति में विलम्ब होने पर वित्तीय एवम् लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।
16. कार्यादेश के आपूर्ति उपरान्त चालान की प्रति के साथ विपत्र (बिल) प्रस्तुत करने के उपरान्त आपूर्ति की गयी पुस्तकों का जिलों से सत्यापन एवम् स्टॉक एन्ट्री प्राप्त की जाएगी। आपूर्ति की गई पुस्तकों में प्रयुक्त कागज के G.S.M की गुणवत्ता जांच कराने के लिये राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगशाला से नमूना जांच के लिये आपूर्ति की गयी पुस्तकों में से पुस्तकों के चयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय लाईब्रेरी पुस्तक चयन समिति के निर्णयानुसार की जायेगी। नमूना जाँच की निर्धारित शुल्क राशि प्रकाशक द्वारा वहन की जाएगी, जिसकी कटौती प्रकाशक को की जाने वाली भुगतान राशि में से कर ली जाएगी।
17. आपूर्ति की गयी पुस्तकें मूल रूप से अंकित प्रकाशकों की ही होनी चाहिये। अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों पर पेज कवर बदल कर सप्लाई की गयी पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होंगी। शिकायत पाये जाने पर RTPP Act. 2012/13 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
18. एक पैन कार्ड संख्या पर एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। पैनकार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
19. प्रकाशक द्वारा **GST** नम्बर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। फर्म को माह मार्च 2023 की **GST** रिटर्न की प्रस्तुति का प्रमाण पत्र C.A. से प्रमाणित करवाकर (Submit) देना होगा। आवेदक पर यदि जीएसटी पंजीयन लागू नहीं होता है तो आवेदक इस आशय का सीए द्वारा प्रमाणित (मय सील, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं यूआईडीएन) शपथ पत्र, ईओआई के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST

20. कार्यादेश में आदेशित पुस्तकों का मिलान नमूना के समय उपलब्ध कराये गये सैम्पल के अनुरूप होना चाहिये। सैम्पल में उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों से आपूर्ति करायी गयी पुस्तकों में गुणवत्ता एवं विषयवस्तु की भिन्नता पाये जाने पर अथवा स्टिकर लगे या चस्पा किये गये मूल्य की पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पुरानी पुस्तकों पर नये मूल्य का पेज पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशन द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही समान्य वित्तीय एवम् लेखा नियमानुसार की जाएगी।

21. कार्यादेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कुल आदेशित मूल्य का 5 प्रतिशत राशि का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।

22. कार्यादेश में वर्णित अवधि में यदि कोई प्रकाशक कार्य संपादन आदेश को पूर्ण अथवा आंशिक पालना में असफल रहेगा तो नियमानुसार प्रतिभूति की राशि जब्त करने की कार्यवाही वित्तीय एवम् लेखा नियमानुसार की जायेगी।

23. पुस्तकें ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने पर भौतिक सत्यापन के समय यदि पुस्तकों के पेज कटे–फटे या कुछ पेज गायब पाये जाते है तो ऐसी पुस्तकों के सैट मान्य नहीं होंगे। प्रकाशक को अवगत कराने के 10 कार्य दिवस की सीमा में उक्त सैटों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा ऐसी पुस्तकों का मूल्य काटकर भुगतान किया जायेगा।

24. नमूना के रूप में प्रस्तुत की गयी पुस्तकों एवं आपूर्ति की गयी पुस्तकों में किसी प्रकार की भिन्नता (कवर पेज, कागज, पृष्ठ छपाई एवम् गुणवत्ता आदि) पाये जाने पर क्रय आदेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशक के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25. चयनित पुस्तक की प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार राज्य स्तरीय चयन/क्रय समिति का होगा।

26. वर्ष 2020–21, 2021–22 एवम् 2022–23 या वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 में से किसी एक वर्ष में 20 लाख का Turn Over (लेन–देन) होना आवश्यक है। इस बाबत् सनदी लेखाकार (C.A.) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27. सशर्त कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST

28. पुस्तक चयन के संबंध में सर्वाधिकार राज्य स्तरीय चयन/क्रय समिति का होगा।

29. पुस्तक चयन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की पूछताछ/पड़ताल मान्य नहीं होगी। चयन के मामले में प्रकाशकों एवं संस्थाओं द्वारा यदि किसी प्रकार की लाबिंग/दबाव या किसी तरह से निर्णय को प्रभावित करने वाले पर **RTPP Act.- 2012/13** के तहत कार्यवाही की जाएगी।

30. यह विज्ञप्ति एवं इसके नियम व शर्ते संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगा।

31. चयनित आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों के पृष्ठ कवर के अग्र भाग पर **"समग्र शिक्षा, राजस्थान वर्ष 2024–25"** अंकित करना होगा।

32. विगत 2 वर्षों में चयनित निजी पुस्तकों को इस सत्र में शामिल नहीं किया जायेगा।

33. अंतिम रूप से चयनित पुस्तकों का प्रकाशनों द्वारा ई कंटेंट भी परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, ई कंटेंट उपलब्ध करवाने में होने वाला किसी प्रकार का व्यय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा वहन नही किया जायेगा। जिससे डिजिटल एज्यूकेशन के तहत भी उसका उपयोग हो सके। साथ ही ब्लॉक स्तर पर वितरण के समय प्रकाशनों द्वारा प्रत्येक पुस्तक के अंतिम पृष्ठ व कवर के मध्य 10 पृष्ठ का विद्यार्थीयों को पुस्तक वितरण प्रपत्र अनिवार्य रूप से पुस्तक का भाग होगा।

34. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क के रूप में 10,000/– (दस हजार रूपये) का किसी भी अनुसूचित बैक का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (डी.डी.) राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम अनिवार्य रूप से देय होगा। यद्य पि राशि अप्रतिदेय होगी।

35. पुस्तकों की विषय वस्तु की प्रमाणिकता आदि के लिए यदि आवश्यक हुआ तो परिषद स्तर से साक्ष्य सबूत मांगे जाने पर उपलब्ध करानें की जिम्मेदारी संबंधित प्रकाशक/प्रकाशकों की होगी। ऐसा नहीं करने पर किसी भी स्तर पर पुस्तकों का चयन रदद् किया जा सकेगा एवं भुगतान भी देय नहीं होगा।

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved

पुस्तकों के संबंध में

1. पुस्तकें मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, पर्यावरण से संबंधित, नैतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों, स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाली स्वावलम्बी बनाने वाली, देश भक्ति एवं महापुरूषों के प्रति आदर बढाने वाली, प्रेरणादायी, बच्चों की तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान एवं विभिन्न कौशलों को विकसित करने वाली एवं राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्व एवं प्रेरक जीवनियों की जानकारी देने वाली होनी चाहिये।
2. पुस्तकें विद्यार्थियों के शैक्षिक परिवेश, रूचियों, विषय संबंधित आवश्यकताओं एवं पढने की क्षमताओं के अनुरूप कक्षा 1 से 5,कक्षा 6 से 8, कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 स्तर की होनी चाहिये।
3. पुस्तकें Story books एवं बालोपयोगी एवं कॉमिक्स 6–14 वर्ष के बच्चों में भाषा कौशल, लिखने एवं स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता, शब्द ज्ञान, सृजानात्मक, तार्किक सोच, गहन चिंतन के साथ स्वयं को परिवेश एवं वास्तविक जीवन से समन्वय स्थापित करने आदि का बढ़ावा देने वाली हों।
4. पाठ्यपुस्तक (Textbooks), संदर्भ पुस्तक (Reference Book) परीक्षा संबंधी पुस्तक एवं सामग्री पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. ऐसी पुस्तकें जो 18 वर्ष तक के बालकों के लिये उचित / उपयोगी नहीं है पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रकाशकों द्वारा राजस्थान राज्य की स्थानीय भाषा के रूप में राजस्थानी एवं क्षेत्रीय भाषा हिन्दी की पुस्तकों के ही प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे तथा संस्कृत भाषा की पुस्तकें भी स्वीकार होंगी।
7. विद्यार्थियों के लिये प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिये जो किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत एवं बच्चों की मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी अंश में उपरोक्त किंसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी / जवाबदेही प्रकाशक की होगी।

RajKaj Ref
12523656

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–01

आवेदन पत्र
(प्रकाशक के संबंध में)

1. प्रकाशन का नाम :..
2. पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :..
   .... पिन कोड......................................
3. दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर :..
4. ई–मेल आईडी :..
5. प्रकाशन के स्वामी/भागीदार का पूरा नाम :..
6. स्वामी/भागीदार का पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :..
   .... पिन कोड......................................
7. दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर :..
8. प्रकाशन/स्वामी का स्थायी लेखा संख्या/PAN:..
9. प्रकाशन का बैंक एकाउंट नं. :..
10. प्रकाशक का जीएसटी (GSTIN) नं. :..
11. वर्ष 2020–21, 2021–22 एवम् 2022–23 या वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 का टर्न ओवर (लेन–देन), C.A. से प्रमाणित
    :..
12. बैंक का आईएफएससी कोड :..
13. बैंक शाखा का नाम एवं पता
    :..
14. प्रकाशक द्वारा जमा की गई नमूनार्थ शीर्षकों की कुल संख्या :..

कक्षा	पुस्तक/शीर्षकों की संख्या		
	संस्कृत	हिन्दी	राजस्थानी
1–5			
6–8			
9–10			
11–12			
कुल			

स्वामी/प्रकाशक के हस्ताक्षर

प्रकाशन की मुहर

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved

निर्देश : यह परिशिष्ट प्रकाशन इकाई के स्वामी द्वारा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर एवं मुहर सहित स्वंय के हस्ताक्षर कर पुस्तकों के नमूनों के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

RajKaj Ref 12523656

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved

प्रपत्र– 02

पुस्तक सूची

क्र. स.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नं.	मूल्य	प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण	पृष्ठ संख्या	ISBN No.	विषय वस्तु	कक्षा स्तर 1 से 5	कक्षा स्तर कक्षा 6 से 8	कक्षा स्तर कक्षा 9—10	कक्षा स्तर कक्षा 11—12	पुस्तक का आकार	पुस्तक में प्रयुक्त कागज का विवरण किस्म– जीएसएम–	कवर पृष्ठ में प्रयुक्त कागज का विवरण किस्म– जीएसएम–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

भाषा – संस्कृत /राजस्थानी/ हिन्दी

स्वामी/प्रकाशक के हस्ताक्षर
प्रकाशन की मुहर

RajKaj Ref 12523656

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved

<u>**प्रपत्र– 03**</u>

शपथ–पत्र का प्रारूप

प्रत्येक निजी प्रकाशक को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निम्नानुसार शपथ–पत्र देना होगाः–

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि –

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... पता .... को

- EOI की सभी शर्ते मान्य हैं।
- नमूने के तौर पर जमा करवायी गयी पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है।
- नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कहीं पर भी विक्रय नहीं किया गया एवं पुस्तकों में दी जा रही छूट से अधिक किसी को नहीं दी गई तथा न ही दी जायेगी, के सम्बन्ध में।
- नमूने के तौर पर जमा करवाई गयी पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है।
- शब्द/वर्तनी त्रुटि सम्बन्धी अशुद्धि पाए जाने पर परिषद का निर्णय मान्य होगा।
- प्रस्तुत की गई नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कही पर भी विक्रय नहीं किया गया है।
- आपूर्ति की जा रही पुस्तकों पर दी जा रही छूट से अधिक छूट किसी को नहीं दी गई है तथा न ही दी जायेगी, यदि किसी क्रेता को दी जाती है और इसकी जानकारी विभाग (परिषद) को होती है तो पुस्तकों पर दी गयी अधिकतम छूट को मान्य करते हुये भुगतान किया जावें।

हस्ताक्षर
(शपथ कर्ता)
मय नाम
फर्म का नाम ....
पता ....
मोबाईल नं0 ....

RajKaj Ref
12523656

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.12.18 18:41:38 IST
Reason: Approved